



2026:AHC-LKO:19761

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट सी संख्या - 2567 वर्ष 2026

मेसर्स शादाब फ्रूट कंपनी, प्रोपराइटर मो. शादाब के माध्यम से

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ और 2 अन्य के
माध्यम से।विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : आनंद पाल सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-19

माननीय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद पाल सिंह 'विशन', राज्य/प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद/प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार उपस्थित हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 2) के निदेशक द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पारित आदेश और कृषि उत्पादन मंडी समिति, मेरठ के सचिव द्वारा दिनांक 5/9.05.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने 5 मई 2018 से 5 मई 2025 के बीच विभिन्न तिथियों पर कुल 18,08,000 रुपये जमा किए हैं। यद्यपि, मंडी समिति द्वारा याचिकाकर्ता को आवंटित दुकान के लिए लाइसेंस जारी न करने, आवंटन की तिथि से व्यवसाय संचालन शुरू न होने और दुकान के पिछवाड़े वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण, जहां वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल रही है, याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर प्रीमियम राशि जमा नहीं कर सका।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता शेष राशि जमा करना चाहता है, लेकिन विपक्षिण की निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता उसे जमा नहीं कर पाया है।
5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा दिनांक 5/9.05.2025 को पारित आदेश को पुनरीक्षण संख्या 22/2025 के माध्यम से विशिष्ट आधारों पर चुनौती दी थी, लेकिन निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 2) ने याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में उठाए गए आधारों पर विचार किए बिना इसे खारिज कर दिया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने समान तथ्यों के आधार पर पुनरीक्षण संख्या 12/2025 (सुरेंद्र बनाम सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति) को स्वीकार कर लिया है।

7. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को शेष राशि जमा करने का उचित अवसर दिए जाने के बावजूद, वह राशि जमा करने में विफल रहा और अतः विक्षुब्ध आदेश विधि के अनुसार ही पारित किए गए हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि विक्षुब्ध आदेशों में कोई विसंगति या अवैधता नहीं है और याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बातें सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

9. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में उठाए गए आधारों पर निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दिनांक 12.02.2026 के विक्षुब्ध आदेश को पारित करते समय विधिवत विचार नहीं किया गया है।

10. तदनुसार, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पारित विक्षुब्ध आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को पुनरीक्षण प्राधिकारी, अर्थात् आयुक्त/निदेशक, राज्य कृषि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 2) को वापस भेजा जाता है, ताकि वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद और याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में उठाए गए सभी आधारों और दलीलों पर विधि के अनुसार विचार करते हुए पुनरीक्षण पर शीघ्रता से नए सिरे से निर्णय लें।

11. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, यह याचिका **स्वीकार** की जाती है।

मार्च 18, 2026

वीरेंद्र

(न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।